राजस्थान विधान सभा

प्रथम सत्र

कार्य-सूची

सोमवार, दिनांक 11 फरवरी, 2019

बैठक का समय-प्रात: 11.00 बजे

1. शपथ अथवा प्रतिज्ञान

श्रीमती सफिया जुबेर, नव-निर्वाचित सदस्य, भारत के संविधान के प्रति शपथ लेंगी अथवा प्रतिज्ञान करेंगी ।

2. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

3. शोकाभिव्यक्ति

निम्नांकित के निधन पर शोक प्रकट किया जायेगा एवं श्रद्धांजलि अर्पित की जायेगी :-

1. श्री जॉर्ज फर्नांडिस - समाजवादी नेता एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री।

2. श्री भूदरमल वर्मा - पूर्व सदस्य, आठवीं राजस्थान विधान सभा ।

4. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

(I) राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री हनुमान बैनिवाल, सदस्य, विधान सभा, जयपुर के पृथ्वीराज नगर क्षेत्र में इंदिरा विकास गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड़ की श्रीराम नगर योजना में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कथित रूप से बैक डेट में फर्जी पट्टे जारी करने के संबंध में नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

(II) राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री संयम लोढ़ा, सदस्य, विधान सभा, पिंडवाड़ा तहसील के बनास में भूमि अवाप्ति के तहत कथित रूप से भूमि रूपान्तरण एवं डीएलसी दर षडयंत्रपूर्वक दुगुनी किये जाने से हुई राज्य सरकार को हानि के संबंध में राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

जारी..2..

5. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

(क) अधिसूचनायें

श्री शांती कुमार धारीवाल, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, वित्त विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

वित्त विभाग

1. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-153 दिनांक 29.1.2019 जिसके द्वारा राजस्थान माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 के प्रावधान 01 फरवरी, 2019 से प्रभावी किये गये हैं ;
2. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-154 दिनांक 29.1.2019 जिसके द्वारा राजस्थान माल एवं सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किये गये हैं ;
3. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-155 दिनांक 29.1.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-58 दिनांक 30.6.2017 में संशोधन किया गया है ;
4. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-156 दिनांक 29.1.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-46 दिनांक 29.6.2017 में संशोधन किया गया है ;
5. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-V-157 दिनांक 01.2.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-III-135 दिनांक 31.12.2018 का शुद्धि पत्र जारी किया गया है ;
6. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-V-158 दिनांक 01.2.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-III-137 दिनांक 31.12.2018 का शुद्धि पत्र जारी किया गया है ;
7. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-V-159 दिनांक 01.2.2019 जिसके द्वारा राजस्थान माल एवं सेवा कर (कठिनाइयों का निराकरण), आदेश 2019 जारी किया गया है ; एवं
8. अधिसूचना संख्या: एफ.12(72)वित्त/कर/2017-160 दिनांक 04.2.2019 जिसके द्वारा प्रति-मुनाफाखोरी पर राज्य स्तरीय छानबीन समिति में एक सदस्य की नियुक्ति की गई है।

(ख) वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे

(1) श्री अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे :-

(I) भारत के संविधान के अनुच्छेद 323(2) के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग का 67वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017 एवं 68वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018 ;

जारी..3..

(II) मानव अधिकार अधिनियम, 1993 की धारा-28 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017, आंकड़ों के बेहतर प्रदर्शन हेतु पुलिस द्वारा अपराध दर्ज करने में देरी के संबंध में विशेष प्रतिवेदन एवं सरकारी कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों की स्वीकृति में हो रहे विलम्ब के संबंध में विशेष प्रतिवेदन ;

(III) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड़ का छठा वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018 ; एवं

(IV) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395(1)(बी) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड़ का 13वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018.

(2) श्री शांती कुमार धारीवाल, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखे सदन की मेज पर रखेंगे :-

(I) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड़ का 9वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018 ;

(II) राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1970 की धारा-47 के अन्तर्गत राजस्थान आवासन मण्डल के वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखे वर्ष 2017-2018 ; एवं

(III) जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा-64 के अन्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण के अंकेक्षित वार्षिक लेखे वर्ष 2017-2018.

(3) श्री बुलाकी दास कल्ला, भू-जल मंत्री, मेमोरेन्डम ऑफ आर्टिकल के नियम-114 के अन्तर्गत राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड़ का 34वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018 सदन की मेज पर रखेंगे ।

(4) श्री परसादी लाल, उद्योग मंत्री, निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे :-

(I) राजस्थान वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा-37(6) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिये राजस्थान वित्त निगम के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक अंकेक्षण प्रतिवेदन; एवं

(II) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड़ का 34वां का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018.

(5) श्री प्रताप सिंह खाचरियावास, परिवहन मंत्री, सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा-35(2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम का 54वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018 सदन की मेज पर रखेंगे ।

जारी..4..

(6) श्री लालचन्द कटारिया, कृषि मंत्री, निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे :-

I- महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर अधिनियम, 2000 की धारा-42 के अन्तर्गत महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019 ;

II- स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम, 1987 की धारा-32(4) के अन्तर्गत स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019 ;

III- श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर अधिनियम, 2013 की धारा-46 के अन्तर्गत श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019 ;

IV- कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 2013 की धारा-46 के अन्तर्गत कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019 ; एवं

V- कृषि विश्वविद्यालय, कोटा अधिनियम, 2013 की धारा-46 के अन्तर्गत कृषि विश्वविद्यालय, कोटा का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019.

(7) श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, शिक्षा राज्यमंत्री, राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल के मेंमोरेंडम ऑफ ऐसोसियेशन के नियम-46 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2017-2018 सदन की मेज पर रखेंगे ।

(8) श्री सुखराम विश्नोई, पर्यावरण राज्यमंत्री, निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे :-

I- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-39(2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018 ; एवं

II- राजस्थान राज्य जैव विविधता अधिनियम, 2010 की धारा-21(3) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018

(9) श्री अंजना उदयलाल, सहकारिता मंत्री, राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 54(14) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड़ के ऑडिटेड़ अंतिम लेखें एवं ऑडिट व अनुपालना रिपोर्ट (कन्सोलिडेटेड़) वर्ष 2017-2018 सदन की मेज पर रखेंगे ।

जारी..5..

6. वित्तीय समितियों के निर्वाचन के संबंध में प्रस्ताव

डॉ0 महेश जोशी, सरकारी मुख्य सचेतक, निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे :-

1. "इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 230(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से **जनलेखा समिति, 2019-2020** के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय ।

2. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से **प्राक्कलन समिति 'क', 2019-2020** के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय ।

3. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से **प्राक्कलन समिति 'ख', 2019-2020** के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय ।

4. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 233-खा(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से **राजकीय उपक्रम समिति, 2019-2020** के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय ।"

7. वित्तीय समितियों के गठन के संबंध में प्रस्ताव

डॉ0 महेश जोशी, सरकारी मुख्य सचेतक निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे :-

"राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 230(1), 231, सहपठित नियम-232(1), 233-खा(1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों में से क्रमश: जनलेखा समिति, 2019-2020, प्राक्कलन समिति "क", 2019-2020, प्राक्कलन समिति "ख", 2019-2020 एवं राजकीय उपक्रम समिति, 2019-2020, प्रत्येक के लिये 15-15 सदस्यों का निर्वाचन किये जाने का प्रस्ताव सदन द्वारा अभिस्वीकृत किया गया है ।

सर्वविदित स्पष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व अभिस्वीकृत प्रस्ताव के अधिलंघन में मैं, यह प्रस्ताव करता हूँ कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 306 के अध्यधीन प्रक्रिया के नियम 230(1), 231, सहपठित नियम 232(1), 233-खा(1) को निलम्बित कर यह सदन माननीय अध्यक्ष को यह अधिकार प्रदत्त करता है कि वे उपरोक्त समितियों का गठन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुनाव कराने के उद्देश्य की यथासंभव पूर्ति करते हुए प्रत्येक समिति में प्रत्येक दल अथवा समूह को उतना प्रतिनिधित्व दिया जाय, जितना सभा में उनके सदस्यों का अनुपात है, का मनोनयन करें ।"

8. विधायी कार्य

(क) पुर:स्थापित किया जाने वाला विधेयक

राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2019

(I) श्री अंजना उदयलाल, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्या-5)

"राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का अध्यादेश संख्यांक-6) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे ।

(ख) विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक

(I) राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2019

(I) श्री सचिन पायलट, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्या-3)

"राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 को और संशोधित करने के लिये विधेयक ।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

जारी..7..

(II) राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2019

(I) श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2019
(2019 का विधेयक संख्या-4)

"राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को और संशोधित करने के लिये विधेयक ।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

दिनेश कुमार जैन
सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 08 फरवरी, 2019